



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022 (PHALGUNA 4, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 फरवरी, 2022

संख्या 09/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में, क्रम संख्या (ख) तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) श्री सुन्दर लाल, अपर आयुक्त, सीजीएसटी, पंचकुला।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 23rd February, 2022

No. 09 /GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 96 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 112/ST-2, dated the 18th October, 2017, namely:—

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 112/ST-2, dated the 18th October, 2017, for serial 2 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:—

“2. Sh. Sunder Lal, Additional Commissioner, CGST Panchkula.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022 (PHALGUNA 25, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2022

संख्या 10/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में, प्रथम पैरा में, प्रथम अप्रैल, 2022 से, "पचास करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "बीस करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

अनुराग रस्तोगी,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2022

No. 10/GST-2.— In exercise of the powers conferred sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, in the first paragraph, for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 31, 2022 (CHAITRA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2022

संख्या 11/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

- (क) अनुसूची I में - 2.5%, क्रम संख्याएं 225ख, 226 से 228 तथा उनके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) अनुसूची II में - 6%, क्रम संख्या 176क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"176 ख	6815	फलाई ऐश की ईंटे या फलाई ऐश, जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स
176ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटे
176घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
176ङ	6905 10 00	फर्श या छत की टाइले"।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2022

No. 11/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (a) in Schedule I – 2.5%, serial numbers 225B, 226 to 228 and entries thereagainst shall be omitted;
- (b) in Schedule II – 6%, after serial number 176A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022

ANURAG RASTOGI,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 31, 2022 (CHAITRA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2022

संख्या 12/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे माल की अंतःराज्यीय प्रदाय को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्तसारणी के खाना (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के खाना (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में, विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जो उक्त सारणी के खाना (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशि से अधिक है:

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	पलाई ऐश की ईंटे या पलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श या छत की टाइलें	3%	1

व्याख्या—

- (i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय।
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के खण्ड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपबन्ध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) इन मालों के प्रदाय में अनन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) ऐसी माल के प्रदाय के लिए प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य प्रदायो को भागतः प्रभावित करने के लिए, उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल के प्रदाय छूट प्राप्त प्रदाय है और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उप-धारा (2) और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंध लागू होते हो।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 31st March, 2022

No. 12/GST-2.— In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

Table

Serial Number	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

Explanation. –

- (i) For the purposes of this notification, “Tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(Central Act 51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition Number	Condition
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 31, 2022 (CHAITRA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2022

संख्या 13/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 29/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 29/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में, सारणी में, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.	6815	पलाई ऐश की ईंटे या पलाई ऐश, जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
7.	6905 10 00	फर्श या छत की टाइले"।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2022

No. 13/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 29/GST-2, dated the 8th March, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 29/GST-2, dated the 8th March, 2019, in the Table, after serial number 3 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely: -

“4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 31, 2022 (CHAITRA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2022

संख्या 14/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 10 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 31/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 31/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में, सारणी में, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.	6815	पलाई ऐश की ईंटे या पलाई ऐश, जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
7.	6905 10 00	फर्श या छत की टाइले"।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2022

No. 14/GST-2.— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 31/GST-2, dated the 8th March, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 31/GST-2, dated the 8th March, 2019, in the Table, after serial number 3 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely: -

“4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 110-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 22, 2022 (ASADHA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2022

संख्या 35/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-02, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-02, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में, चतुर्थ परंतुक में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “। “ चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररुप जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए भुगतान योग्य विलंब फीस का प्रथम मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए अधित्यजित हो जाएगी।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd June, 2022

No. 35 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, in the fourth proviso,-

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added, namely :-

“Provided further that the late fee payable for delay in furnishing of FORM GSTR-4 for the Financial Year 2021-22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1st day of May, 2022 till the 30th day of June, 2022.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 110-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 22, 2022 (ASADHA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2022

संख्या 36/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 96 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में, मद (क) तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(क) श्रीमती कुमुद सिंह, अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd June, 2022

No. 36 /GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 96 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 112/ST-2, dated the 18th October, 2017, namely:—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.112/ST-2, dated the 18th October, 2017, for serial 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

- “1. Smt. Kumud Singh , Additional Excise and Taxation Commissioner, Haryana.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 28, 2022 (ASADHA 7, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जून, 2022

संख्या 37/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरण दाखिल करना आवश्यक था, लेकिन वे उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित मास के लिए उक्त विवरण नियत तिथि तक दाखिल करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि, जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तिथि तक दिसंबर, 2020 के मास के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने उक्त मास के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करवा दिया था, अर्थात्:— 1. 06AAKCA6148C1C6 2. 06AAHCM7396M1C0 3. 06AACCF0683K1CW	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तिथि से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तिथि तक

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि, जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
2	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तिथि तक खाना 3 में उल्लिखित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने उक्त मासों के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करवा दिया था, अर्थात्:- 1. 06AAHCP1178L1CF	सितंबर, 2020, अक्टूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संगृहीत कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तिथि से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की तिथि तक

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th June, 2022

No. 37 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 50 read with section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies the rate of interest per annum to be 'Nil', for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, who were required to furnish the statement in FORM GSTR-8, but failed to furnish the said statement for the months mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table by the due date, for the period mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act, for the month of December, 2020, by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said month in the electronic cash ledger, namely :— 1. 06AAKCA6148C1C6 2. 06AAHCM7396M1C0 3. 06AACCF0683K1CW	December, 2020	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

Serial Number	Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act for the months mentioned in column (3), by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said months in the electronic cash ledger:— 1. 06AAHCP1178L1CF	September, 2020, October, 2020, November, 2020, December, 2020 and January, 2021.	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 38/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(क) सारणी में,—

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) के नीचे,—

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और खाना (4) और (5) के नीचे उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (vii) और (X) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “6” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) मद (XII) में, कोष्ठक और अंक “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(vii), (viii),” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के सामने, मद (i) में, “एक हजार रुपए से अधिक किन्तु” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के सामने, खाना (3) में,—

(क) मद (vi) और उससे संबंधित खाना (4), (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
“(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]”;

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित खाना (4) और (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (viक) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-";

(iv) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित खाना (4) और (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	2.5 या 6	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध V में घोषणा करके किया जाएगा: परंतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। परंतु यह और कि खण्ड (ख) पर लागू दर पर राज्य कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए बीजक को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";

- (ख) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (vi) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]";

- (ग) मद (vii) और खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (vii) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-";

- (v) क्रम संख्या 10 के सामने, खाना (3) में,-

- (क) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	-";

- (ख) मद (iii) में, "(i)" कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "(ia)" कोष्ठक और अंक को रखा जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं। स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती हैं जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है।	9	-";

- (Vii) क्रम संख्या 15 के सामने, -

- (क) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (ख) खाना (3) के नीचे, मद (vii) में, "(i)," कोष्ठक तथा चिह्न को लोप किया जाएगा;

- (Viii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे में, मद (i) में, उप-मद (ड), (ड.क) और (ज) का लोप किया जाएगा;

- (ix) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	शीर्ष 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(x) क्रम संख्या 32 के सामने,—

(क) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे मद (i) और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा, जैव-चिकित्सय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं	6	-";

(ख) खाना (3) में, मद (ii) में, "(i)" कोष्ठक और अंक के पश्चात् "और (ia)" कोष्ठक और अंक रखा जाएगा।

(ख) व्याख्या से संबंधित पैराग्राफ 4 में, खण्ड (xxxvi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, —

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) 'नैदानिक प्रतिस्थापन' से अभिप्राय है, कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;";

(xxxix) "स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं" से अभिप्राय है, निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यताया गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा, पद्धति और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्य क्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोटया संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनः निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xl) "माल परिवहन अभिकरण से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) अनुबंध IV के पश्चात्, निम्नलिखित अनुबंध रखा जाएगा, अर्थात्:—

“अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्धा कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या:—

दिनांक: —

1. मैंने/हमने (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद द्वारा, एचजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और एचजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
2. मैं इस बात को समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम:-

जीएसटीआईएन:-

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।”।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 38/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, -

In the said notification, -

(A) in the Table, -

- (I) against serial number 3, under column (3), -
- (a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5) shall be omitted;
- (b) against items (vii) and (x), for the existing entry under column (4), the following entry “6” shall be substituted;
- (c) in item (xii), for the brackets and figures “(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)”, the brackets and figures “(vii), (viii)” shall be substituted;
- (II) against serial number 7, under column (3), in item (i), the words “above one thousand rupees but” shall be omitted;
- (III) against serial number 8, under column (3), -
- (a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]”;

- (b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

- (IV) against serial number 9, under column (3), -

- (a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use) supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it.	2.5	(1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] (2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging State tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July, 2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August, 2022.”;
	or 6	

- (b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)];

- (c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii),(iv), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

- (V) against serial number 10, under column (3), -

- (a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-”;

- (b) in item (iii), after the brackets and figure “(i)”, the brackets and figures “, (ia)” shall be inserted;

- (VI) against serial number 11, under column (3), for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Supporting services in transport. <i>Explanation:</i> This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.	9	-”;

- (VII) against serial number 15, under column (3), -

- (a) item (i) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5) shall be omitted;
(b) in item (vii), the brackets and figures “(i),” shall be omitted;

- (VIII) against serial number 26, under column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

- (IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit (CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)];

(X) against serial number 32, under column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia)Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	6	-”;

(b) in item (ii), after the brackets and figures“(i)”, the word, brackets and figure “and (ia)” shall be inserted;

(B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(xxxvii) ‘print media’ means, —

(i) ‘book’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) ‘newspaper’ as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) ‘clinical establishment’ means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) ‘health care services’ means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xl) ‘goods transport agency’ means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.”;

(C) After Annexure IV, following annexure shall be added, namely: -

“Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We _____ (name of Person), authorised representative of M/s..... have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay Goods and Services Tax on the Good Transport Agency services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year.....under forward charge in accordance with section 9(1) of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and to comply with all the provisions of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.”

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 39/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(क) सारणी में, खाना (3) में-

- (i) क्रम संख्या 6 के सामने, खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 7 के सामने, व्याख्या में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (iii) क्रम संख्या 8 के सामने, परन्तुक में, खण्ड (i) में, "स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (iv) क्रम संख्या 9 के सामने, प्रथम परन्तुक में, खण्ड (i) के स्थान पर, "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं;" खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 12 के सामने, खाना (3) में, "किराए पर देने सम्बन्धी सेवाएं" शब्दों के पश्चात्, "उस स्थिति को छोड़कर, जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो," शब्दों को रखा जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (3) के नीचे, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन;"

- (ड) क्रम संख्या 20 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 21 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;
- (छ) क्रम संख्या 24ख के सामने, खाना (3) के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(3)
"अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयर हाऊसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं";

- (ज) क्रम संख्या 24ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; ;	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

- (झ) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ञ) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ट) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ठ) क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ड) क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ढ) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52क	शीर्ष 9985	<p>दूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और दूर ऑपरेटर के द्वारा विदेशी पर्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली दूर ऑपरेटर सेवा के मूल्य की सीमा तक:</p> <p>परंतु भारत के बाहर दी गई दूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल प्रतिफल का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या और दूर के लिए कुल दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे दूर के लिए कुल प्रतिफल का 50%, जो भी कम हो:</p> <p>परंतु यह और कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा।</p> <p>व्याख्या – "विदेशी पर्यटक" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर-आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अधिक अवधि के लिए भारत में रुकने के लिए आता है।</p> <p>दृष्टांत:</p> <p>कोई दूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता है:-</p> <p>(क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल: रु.1,00,000/-,</p> <p>छूट: रु. 40,000/- (=रु.1,00,000/- X 2/5) या, रु.50,000/-</p>	शून्य	शून्य";

	<p>(= रु.1,00,000/- का 50%) जो भी कम हो, अर्थात् रु. 40,000/- (अर्थात् कर योग्य मूल्य: रु. 60,000/-);</p> <p>(ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल रु. 1,00,000/-.</p> <p>छूट: रु. 60, 000 (= रु.1, 00, 000/- X 3/5) या, रु. 50,000/- (= रु. 1, 00, 000/- का 50%) जो भी कम हो, यानी, रु. 50,000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य: रु. 50,000/-);</p> <p>(ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया प्रतिफल रु. 1,00,000/-.</p> <p>छूट: रु. 54,545 (= रु. 1,00,000/- X 3/5.5) या, रु. 50,000/- (= रु. 1,00,000/- का 50%), जो भी कम हो, अर्थात्। रु. 50,000/- (अर्थात्, कर योग्य मूल्य रु. 50,000/-).</p>		
--	--	--	--

- (ण) क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (त) क्रम संख्या 54 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा;
- (थ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (द) क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ध) क्रम संख्या 74 के सामने, खाना (3) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

(3)
<p>"परंतु उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हो।";</p>

- (न) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (प) क्रम संख्या 80 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्;

(3)
<p>"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं-</p> <p>(क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद-प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या</p> <p>(ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 12कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,";</p>

- (फ). क्रम संख्या 82क के सामने, खाना (3) के नीचे, "अधिकार के रूप में सेवाएं" शब्दों के पश्चात्, "[जब भी पुनर्नियोजित हो]" कोष्ठक और शब्द को रखा जाएगा।
2. यह अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 39/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

- (i) against serial number 6, in clause (a), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;
- (ii) against serial number 7, in the Explanation, in clause (a), in sub-clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;
- (iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;
- (iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory” shall be omitted;

(b) against serial number 12, under column (3), after the words “as residence”, the words “except where the residential dwelling is rented to a registered person” shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, under column (3), for clause (a), the following shall be substituted: -

(3)
“(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal.”;

(e) against serial number 20, under column (3), clause (d) shall be omitted;

(f) against serial number 21, under column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted namely: -

(3)
“Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.”;

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil”;

- (i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A	Heading 9985	<p>Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India:</p> <p>Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less:</p> <p>Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day.</p> <p><i>Explanation.</i> -"foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.</p> <p><i>Illustrations:</i></p> <p><i>A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: -</i></p> <p><i>(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i></p> <p><i>Exemption: Rs. 40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs. 40, 000/- (i.e., Taxable value: Rs. 60, 000/-);</i></p> <p><i>(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-</i></p> <p><i>Exemption: Rs.60, 000 (=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs. 50, 000/- (i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);</i></p> <p><i>(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour:</i></p>	Nil	Nil";

		<i>Rs.1, 00, 000/-</i> <i>Exemption: Rs.54,545(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/- (i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).</i>		
--	--	--	--	--

- (o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (p) against serial number 54, under column (3), clause (h) shall be omitted;
- (q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (s) against serial number 74, under column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
“Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.”;

- (t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (u) against serial number 80, for the entries under column (3), the following entries shall be substituted namely: -

(3)
“Services by way of training or coaching in- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 (Central Act 43 of 1961).”;

- (v) against serial number 82A, under column (3), after the letters, figures and words, “FIFA U-17 Women’s World Cup 2020”, the brackets and words “[whenever rescheduled]” shall be inserted.
2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 40/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,-

- (1) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (2) के नीचे,-
 - (क) "जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है," शब्दों, अंक तथा चिह्न का लोप किया जाएगा;
 - (ख) परंतु के बाद, निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात, वहां लागू नहीं होगी,- जहां:-

 - (i) आपूर्तिकर्ता ने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो; और
 - (ii) आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर बीजक जारी किया हो और अपने द्वारा जारी ऐसे बीजक के बारे में अनुबंध III में यथा विहित घोषणा की हो।;
- (2) क्रम संख्या 5 के सामने, खाना (2) में, उप-खण्ड (2) में, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" मद प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (3) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।;

- (4) अनुबंध II के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को रखा जाएगा, अर्थात:-

“अनुबंध III

घोषणा

मैंने/हमने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ----- के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।”।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 40/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, -

- (1) against serial number 1, under column (2), -
- (a) the words, figures and symbols “who has not paid state tax at the rate of 6%,” shall be omitted;
- (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
- “Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -
- (i) the supplier has taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of Goods Transport Agency in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and
- (ii) the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging State Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.”;
- (2) against serial number 5, under column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority” shall be omitted;
- (3) after serial number 5A and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of Goods Transport Agency in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July,2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 41/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क. प्रस्तावना में,

- खण्ड (v) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- खण्ड (vi) में, "प्रतिशत" शब्द के बाद, "और" शब्द रखा जाएगा;
- खण्ड (vi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(vii) अनुसूची vii में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत।”;

ख. अनुसूची-2.5% में,-

- क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“9क.	0403	दही, लस्सी, छाछ, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;
------	------	--

- क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

- (v) क्रम संख्या 25 के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 30 के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (viii) क्रम संख्या 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 91 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“91क.	1701 और 1702	बैत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;
-------	--------------------	---

- (x) क्रम संख्या 98 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“98क.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पाचर्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पाचर्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;
-------	------	---

- (xi) क्रम संख्या 101क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xii) क्रम संख्या 163 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 181क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“181ख.	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या पलैज, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित”;
--------	------	---

- (xiv) क्रम संख्या 182 के सामने, खाना (3) में, “जिन्हें इकाई आधानों में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है” शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xv) क्रम संख्या 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ड. और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 215 के सामने, खाना (3) में, “जो यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और जिनका ब्रांड नाम है” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xvii) क्रम संख्या 230, 232, 233, 234क और 234ग और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 255 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“255क.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंद्राओक्युलर लेंस [हियरिंग एड्स के अलावा]”;
--------	------	--

- (xix) क्रम संख्या 264 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, सूची 3 में, मद (ख) में, उप-मद (1) और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ग. अनुसूची-II में-6%,-

- (i) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) में, “अमरुद” शब्द के बाद “आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 41क के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 46 के सामने, खाना (3) में, “और इकाई आधान” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 65 के सामने, खाना (3) में, “गर्भनिरोधक” शब्द के बाद, “और ओस्टोमी उपकरण” रखे जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 70 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 85क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न, अन्य जानवरों के चर्मपत्र-पोशाक चमड़े सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ङ	4114	चामोइस (संयोजन चामोइस सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा”;

- (vii) क्रम संख्या 120 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 125 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“125क”	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं”;
--------	------	---

- (ix) क्रम संख्या 176ख में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “पलाई ऐश की ईंटे; पलाई ऐश समुच्चय; पलाई ऐश ब्लॉक” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (x) क्रम संख्या 187, 188, 189, 192 और 193 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 194 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम”;
-------	---------	----------------------------

- (xii) क्रम संख्या 195 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 197 में, खाना (3) में, “घास या सुखी घास कटित्त्र, अंडा फल या अन्य कृषि उपज की सफाई या छटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं. 8437 की है; पार्टस [84339000]” शब्दों के स्थान पर, “उसके हिस्से” प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xiv) क्रम संख्या 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची-III में - 9%,-

- (i) क्रम संख्या 30क में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान, पर “कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, चाहे निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 54ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“54ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही”;
------	------	--

- (iii) क्रम संख्या 148 के सामने, खाना (3) में, “[एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न]” चिन्हों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 157ख के सामने, खाना (3) में, “(ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)” शब्दों के बाद “;चेक, गुम या बही के रूप में” शब्द रखे जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 182घ के सामने, खाना (3) में, “फलाई ऐश ईटे, फलाई ऐश ब्लॉक, फलाई ऐश समुच्चय, जिनमे फलाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न” शब्दों “[फलाई ऐश ईटे, फलाई ऐश समुच्चय, फलाई ऐश ब्लॉक से भिन्न]” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) “क्रम संख्या 301क” को “301कक” के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए “क्रम संख्या 301कक” से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दाँतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड”;
-------	------	---

- (vii) क्रम संख्या 302क के सामने, खाना (3) में, “(पेपर छुरियों, पैसिल घडने वाले औजारों और उनके ब्लेड से भिन्न)” चिन्हों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 302क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर”;
-------	------	--

- (ix) क्रम संख्या 317क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, “(i) कंक्रीट पंप (8413 40 00); (ii) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप (8413 60); (iii) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (x) क्रम संख्या 317ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर”;

- (xi) क्रम संख्या 328 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से (8433 90 00)
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी”;

- (xii) क्रम संख्या 329 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“329क	8437	सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है”;
-------	------	--

- (xiii) क्रम संख्या 371 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“371क	84 या 85	ई - अपशिष्ट व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (v) दिनांक 23 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है”;
-------	----------	--

- (xiv) क्रम संख्या 376क के सामने, खाना (3) में, “(वैट ग्राइंडर, जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न)” चिह्नों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 390 के सामने, खाना (3) में, “(प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न)” चिह्नों, शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 406 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“406क	8807	8801 शीर्षक के माल के भाग”;
-------	------	-----------------------------

- (xvii) क्रम संख्या 413 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “ड्राइंग, मार्किंग-आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्रापिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रेक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूलर्स, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (xviii) क्रम संख्या 438क के सामने, खाना (3) में, “एलईडी लाइटें और फिक्चर, जिसमें एलईडी लैंप भी हैं; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)” अक्षरों, शब्दों और चिह्नों का लोप किया जाएगा;

ड. अनुसूची VI - 0.125% में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक” को प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि “सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों (हीरों से भिन्न), चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुए अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर (हीरे से भिन्न); सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

- च. अनुसूची VI में, तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची VII - 0.75%

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान
2.	7104	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान”;

- छ. अनुसूची VII के पश्चात्, व्याख्या में, खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(ii) ‘प्री-पैकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश से अभिप्राय है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में यथापरिभाषित ‘प्री-पैकेज्ड कम्प्लेटी’, जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पैकेज में माल पहले से पैक किया गया है या उस पर अनिवार्य घोषणा के संबंध में सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”।
2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 41/GST-2.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. In the opening paragraph -

- (i) in clause (v), the word “and” shall be omitted;
- (ii) in clause (vi), after the word and figures “Schedule VI”, the sign and word “, and” shall be inserted;
- (iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
“(vii) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII”.

B. in Schedule I - 2.5%,

- (i) against serial numbers 1 and 2, under column (3), for the portion beginning with the words “and put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) after serial number 9 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“9A	0403	Curd, Lassi, Butter milk, pre-packaged and labelled”;
-----	------	---

- (iii) against serial numbers 11 and 13, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iv) against serial number 16, under column (3), for the portion beginning with the words “and put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (v) against serial number 25, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (vi) against serial number 26, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vii) against serial number 30, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (viii) against serial numbers 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ix) after serial number 91 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“91A	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled”;
------	--------------------	---

- (x) after serial number 98 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“98A	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, pre-packaged and labelled”;
------	------	--

- (xi) against serial number 101A, under column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, other than those pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xii) Serial number 163 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xiii) after serial number 181A and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“181B	3006	Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes”;
-------	------	--

- (xiv) against serial number 182, under column (3), for the words “put up in unit containers and bearing a brand name”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xv) Serial numbers 197A, 197B, 197C, 197D and 197E and entries thereagainst shall be omitted;
- (xvi) against serial number 215, under column (3), for the words “put up in unit container and bearing a brand name”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xvii) Serial numbers 230, 232, 233, 234A and 234C and entries thereagainst shall be omitted;
- (xviii) after serial number 255 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“255A	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]”;
-------	------	--

- (ix) after serial number 264 and entries thereagainst, in List No. 3, in item (B), the sub-item (1) and the entries thereagainst shall be omitted;

C. in Schedule II – 6%, -

- (i) against serial number 16, under column (3), after the word “guavas”, the words and brackets “, mangoes (other than mangoes sliced, dried)” shall be inserted;
- (ii) against serial number 41A, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iii) against serial number 46, under column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (iv) against serial number 65, under column (3), after the word “contraceptives”, the words “and Ostomy appliances” shall be inserted;
- (v) Serial number 70 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (vi) after serial number 85A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“85 B	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85C	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85D	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85E	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather.
85F	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour”;

- (vii) Serial number 120 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (viii) after serial number 125 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely :-

“125A	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed”;
-------	------	---

- (ix) against serial number 176B, for the entry under column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted;
- (x) Serial numbers 187, 188, 189, 192 and 193 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xi) after serial number 194 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“194A	8419 12	Solar water heater and system”;
-------	---------	---------------------------------

- (xii) Serial number 195 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xiii) against serial number 197, under column (3), for the words and figures “machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts [8433 90 00]”, the words “parts thereof” shall be substituted;
- (xiv) Serial numbers 198, 205, 217, 221, 226 and 227 and the entries thereagainst shall be omitted;

D. in Schedule III – 9%, -

- (i) against serial number 30A, for the entry under column (3), the entry “Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars” shall be substituted;
- (ii) after serial number 54B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“54C	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink”;
------	------	--

- (iii) against serial number 148, under column (3), the brackets and words “[Other than aseptic packaging paper]” shall be omitted;
- (iv) against serial number 157B, under column (3), after the word and bracket “Scripts)”, the figures and words “; Cheques, loose or in book form” shall be inserted;

- (v) against serial number 182D, under column (3), for the brackets, words and figures “[other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]”, the brackets and words “[other than Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks]” shall be substituted;
- (vi) Serial number 301A shall be re-numbered as serial number 301AA, and before serial number 301AA as so re-numbered, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:

“301A	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor”;
-------	------	--

- (vii) against serial number 302A, under column (3), the brackets and words “[other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]” shall be omitted;
- (viii) after serial number 302A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“302B	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware”;
-------	------	---

- (ix) against serial number 317A, for the entry under column (3), the entry “(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps” shall be substituted;
- (x) after serial number 317B and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“317C	8414 20 10	Bicycle pumps
317D	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps”;

- (xi) after serial number 328 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“328A	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
328B	8434	Milking machines and dairy machinery”;

- (xii) after serial number 329 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“329A	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof”;
-------	------	---

- (xiii) after serial number 371 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“371A	84 or 85	E-waste Explanation.- For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer”;
-------	----------	--

- (xiv) against serial number 376AC, under column (3), the brackets and words “[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]” shall be omitted;
- (xv) against serial number 390, under column (3), the brackets, words and letters “[other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]” shall be omitted;
- (xvi) after serial number 406 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“406A	8807	Parts of goods of heading 8801”;
-------	------	----------------------------------

- (xvii) against serial number 413, for the entry under column (3), the entry "Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter" shall be substituted;
- (xviii) against serial number 438A, under column (3), the letters, words, and brackets "LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)" shall be omitted;
- E. in Schedule VI – 0.125%,
- (i) against serial number 1, for the entry under column (3), the entry "Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial" shall be substituted;
- (ii) against serial number 3, for the entry under column (3), the entry "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped" shall be substituted;
- F. after Schedule VI and before Explanation, following entries shall be inserted, namely:-

"Schedule VII – 0.75%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against serial number 1 in Schedule VI
2.	7104	Goods other than those specified against serial number 3 in Schedule VI";

- G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries thereagainst, the following clause shall be substituted, namely:-
- '(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder.'
2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 42/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, -

(क) अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 9 और 22 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “दही, लस्सी, छाछ उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 46ख के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 77 और 78 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(2508)

- (vii) क्रम संख्या 94 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “(i) बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; (ii) खांडसारी शुगर उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”; प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (viii) क्रम संख्या 95 के सामने, खाना (3) में, “जो सामान्यत मुर्की के नाम से जाना जाता है” शब्दों के बाद, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द रखे जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 97क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गये हैं” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 99 के सामने, खाना (3) में, “शुद्धिकृत” शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 108 के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए ह” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xii) क्रम संख्या 118 और 122 उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 132क के सामने, खाना (3) में, “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो” से शुरू होने वाले और “दिया गया हो]” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, “उनसे भिन्न, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xiv) क्रम संख्या 141 उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची के बाद, व्याख्या में, खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 “(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश से अभिप्राय है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'प्री-पैकेज्ड क्मोडिटी', जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पैकेज में माल पहले से पैक किया गया है या उस पर अनिवार्य घोषणा के संबंध में सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”।
2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 42/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

- In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017,
- (A) in the Schedule, -
- (i) against serial numbers 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) against serial number 26, for the entry in column (3), the entry “Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (iii) against serial numbers 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (iv) against serial number 46B, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (v) against serial numbers 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (vi) against serial numbers 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (vii) against serial number 94, for the entry in column (3), the entry “(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (viii) against serial number 95, in column (3), after the word “Murki”, the words and symbols “, other than pre-packaged and labelled” shall be inserted;
 - (ix) against serial number 97A, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those put up” and ending with the words “as specified in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (x) against serial number 99, in column (3), the word “purified, ” shall be omitted;
 - (xi) against serial number 108, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (xiii) serial numbers 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (xiv) against serial number 132A, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those put up” and ending with the words “as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
 - (xv) serial number 141 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder.”.
2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 43/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या (1) के सामने, खाना (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, “6%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

Notification

The 18th July, 2022

No. 43/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the TABLE, under column (4), against serial number 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“6%”.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 44/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उप-धारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

- हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-
- (क) परन्तुक में, प्रारंभिक पैराग्राफ खण्ड (i) में, "क्रम संख्या 1", शब्दों और अंक के स्थान पर, "क्रम संख्या 1क" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) सारणी में, "क्रम संख्या 1" को "क्रम संख्या 1क" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित "क्रम संख्या 1क" से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।
1ङ.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसुंब या बिनौले का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1छ.	1513	नरियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ज.	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसों का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।

1झ.	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ण.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीसकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1त.	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां ।
1थ.	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
1द.	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध.	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न.	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं" ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 44/GST-2.— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 39/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 39/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- (i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;
- (ii) in the TABLE, serial number 1 shall be re-numbered as serial number 1AA, and before serial number 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.

1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516.
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516.
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 45/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2022 में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “पलाई ऐश ईटें; पलाई ऐश समुच्चय; पलाई ऐश ब्लॉक” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 45 /GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 12/GST-2, dated the 31st March, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 12/GST-2, dated the 31st March, 2022, under column (3), against serial number 1, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

“Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks”.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 46/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 125/एसटी-2, दिनांक 14 नवंबर, 2017 को उन बातों के सिवाये विखण्डित करते हैं, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 46/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 125/ST-2, dated the 14th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 47/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 29/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 29/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "पलाई ऐश ईटें; पलाई ऐश समुच्चय; पलाई ऐश ब्लॉक" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 47/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 29/GST-2, dated the 8th March, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 29/GST-2, dated the 8th March, 2019, in the Table, under column (3), against serial number 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

“Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks”.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 48/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 10 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 31/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 31/जीएसटी-2, दिनांक 8 मार्च, 2019 में, सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “फलाई ऐश ईटें; फलाई ऐश समुच्चय; फलाई ऐश ब्लॉक” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 48/GST-2.— In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 31/GST-2, dated the 8th March, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 31/GST-2, dated the 8th March, 2019, in the Table, under column (3), against serial number 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks”.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.